

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

पत्रांक : 01 / योबजट-17/2019-927 दिनांक : 25.09.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ गोड़ा वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वयित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधा का रोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल ₹0 487.864 लाख (चार करोड़ सतासी लाख छियासी हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/योब0-28/2019-08/स्वी0 व0प0 दिनांक 18.06.2019 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/योबजट-28/2019-62/आ0 व0प0 दिनांक 28.06.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹0 487.864 लाख (चार करोड़ सतासी लाख छियासी हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी | 19S240601789580103 | 352.111 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601789580323 | 135.753 |
| कुल :- | | 487.864 |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 तथा ऑनलाइन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक

16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुसंसारों के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्थीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योवजट—17 / 2019—927 दिनांक—25.09.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ हजारीबाग/ दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ चतरा/ हजारीबाग/ दुमका/ जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योवजट—17 / 2019—927 दिनांक—25.09.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ चतरा/ कोडरमा/ देवघर/ गढ़वा/ हजारीबाग/ गोड़डा/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में) | (अग्रिम कार्य) | | |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | 42184.38 | 15921.74 | 58106.12 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | मेदिनीनगर वन प्रमण्डल | 130.00 | 54.840 | 20.698 | 75.538 |
| 2 | गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल | 50.00 | 21.092 | 7.961 | 29.053 |
| 3 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल | 50.00 | 21.092 | 7.961 | 29.053 |
| 4 | चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल | 150.00 | 63.276 | 23.883 | 87.159 |
| 5 | कोडरमा वन प्रमण्डल | 30.00 | 12.655 | 4.777 | 17.432 |
| 6 | साठवाठ प्रमण्डल, देवघर | 50.00 | 21.092 | 7.961 | 29.053 |
| 7 | साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा | 100.00 | 42.184 | 15.922 | 58.106 |
| योग :- | | 560.00 | 236.231 | 89.163 | 325.394 |

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में) | (अग्रिम कार्य) | | |
|----------|------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | 36385.54 | 14332.74 | 50718.28 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल | 100.00 | 36.385 | 14.333 | 50.718 |
| 2 | साठवाठ प्रमण्डल, देवघर | 50.00 | 18.193 | 7.166 | 25.359 |
| 3 | साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा | 100.00 | 36.386 | 14.332 | 50.718 |
| योग :- | | 250.00 | 90.964 | 35.831 | 126.795 |

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनमूर्मि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का प्रमणडलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय/वन प्रमणडल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में) | (अग्रिम कार्य) | | |
|----------|----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | 41527.03 | 17932.74 | 59459.77 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | गोड़डा वन प्रमणडल | 10.00 | 4.153 | 1.793 | 5.946 |
| 2 | जमशेदपुर वन प्रमणडल | 50.00 | 20.763 | 8.966 | 29.729 |
| | योग :- | 60.00 | 24.916 | 10.759 | 35.675 |
| | सकल योग :- | 870.00 | 352.111 | 135.753 | 487.864 |


प्रधम मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : बनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

| क्र० | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु० में) | सामग्री (रु० में) | कुल खर्च (रु० में) | अनियुक्त |
|------|---|--------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| क | वित्तीय वर्ष 2019-20 अनियुक्त कार्य (प्रथम भाग) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹० 249.83 | | | | | | |
| 1 | सर्वक्षण एवं सीमाकान | हेक्टर | 3.00 | 749.49 | 0.00 | 749.49 | |
| 2 | झाड़ी सफाई | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1 | सामान्य झाड़ी | हेक्टर | 7.00 | 1748.81 | 0.00 | 1748.81 | |
| 3 | घेरान कार्य – | | | 0.00 | | | |
| 3.1 | मशीन द्वारा ट्रैच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर) | 6 चेन प्रति हेक्टर | 12 | 2997.96 | 11782.74 | 14780.70 | प्रति हेक्टर अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशेष आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, निष्ठी पर्याप्त आदि घेरान नियंत्रित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। |
| 4 | मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेक्टर एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित) | हेक्टर | 36.50 | 9118.80 | 0.00 | 9118.80 | |
| 5 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ) | हेक्टर | 16.50 | 4122.20 | 0.00 | 4122.20 | 30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विमानीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट ₹० 5/- की दर से क्रय कर दृश्य में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ) |
| 6 | सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) | | | 0.00 | 0.00 | 3989.00 | 3989.00 |
| 7 | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग— 90, कंटूर ट्रैच साइज 5 मीटर x 0.30 x 0.3 मीटर का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मीटर से 3मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की छौड़ाई में 0.15 मीटर गहरा कोडनी कर रखा जाना | हेक्टर | 55.00 | 13740.65 | 0.00 | 13740.65 | |
| 8 | विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | | | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| 9 | प्रवेश बिन्दु कार्य | | | 9706.48 | 0.00 | 9706.48 | |
| | योग— | | 130.00 | 42184.38 | 15921.74 | 58106.12 | |



प्रधान मन्त्री मन संरक्षक, विकास,
जारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट बनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हेक्टर)
पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1000 पौधे
मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस
स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

| क्रम संख्या | कार्य विवरणी | इकाइ | भागीदार दिवस | भागदारी (₹० में) | सामग्री (₹० में) | सुलग्न व्यय (₹० में) | आपेक्षित |
|--|--|--------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| वित्तीय वर्ष 2019-20 अनुसूचित (पृष्ठम् 2/2) भागदारी दर प्रति व्यक्ति ₹०. 249.83 | | | | | | | |
| 1 | संरक्षण एवं सीमांकन | हेक्टर | 3 | 749.49 | 0.00 | 749.49 | |
| 2.1 | सामान्य झाड़ी | हेक्टर | 7 | 1748.81 | | 1748.81 | |
| 2.2 | कटबेक / कॉपरसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि | हेक्टर | 10 | 2498.30 | | 2498.30 | |
| 3 | घोरान कार्य | | | 0.00 | | | |
| 3.1 | मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संबंधक लाभ घटाकर दर) | 6 चेन प्रति हेक्टर | 12 | 2997.96 | 11782.74 | 14780.70 | प्रति हेक्टर अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, भिट्ठी पर्याप्त आदि घोरान निर्धारित दर के अनुरूप बन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। |
| 4 | मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्षेत्रफल 1000 पौट प्रति हेक्टर (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल लिट सहित) | हेक्टर | 22 | 5496.26 | | 5496.26 | |
| 5 | मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग / सिल्ट रिट्रैशन डेम / कंट्रूर आदि (आवश्यकता अनुसार) | हेक्टर | 45 | 11242.35 | | 11242.35 | |
| 6 | अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित | हेक्टर | 10 | 2498.30 | | 2498.30 | 30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विमारीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट ₹० 5/- की दर से क्रय कर टप्पे में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ) |
| 7 | सामग्री (पैलिथीन थेली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घोरान सामग्री आदि) | हेक्टर | | 0.00 | 2400.00 | 2400.00 | |
| 8 | विकिंग कार्य (छायांकन, साइन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हेक्टर | | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 9 | प्रवेश बिन्दु कार्य | हेक्टर | | 9154.07 | 0.00 | 9154.07 | |
| योग :- | | | 109.00 | 36385.54 | 14332.74 | 50718.28 | |


प्रधान मंत्री भून संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर¹
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 2500 पौधे

पौधों की दरी : 2 मीटर X 2 मीटर

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस


| क्र० संख्या | कार्य विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रुपये में) | सामग्री (रुपये में) | कुल योग्य (रुपये में) | आवश्यकता |
|--|--|------------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|--|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| वित्तीय वर्ष 2019-20 अधिक कार्य (प्रथम वर्ष) में लगाए गए मजदूरी दर : ₹ 249.83 | | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हेक्टेक्टर | 3 | 749.49 | 0.00 | 749.49 | |
| 2 | सामान्य ज्ञाड़ी | हेक्टेक्टर | 7 | 1748.81 | | 1748.81 | |
| 3 | मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक—01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संबंधक लाभ घटाकर दर) | 6 चेन प्रति हेक्टेक्टर | 12 | 2997.96 | 11782.74 | 14780.70 | प्रति हेक्टेक्टर 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, ज्ञाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। |
| 4 | मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यूब मीटर 2500 पीट प्रति हेक्टेक्टर (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित) | हेक्टेक्टर | 55 | 13740.65 | 0.00 | 13740.65 | |
| 5 | मृदा एवं जल संरक्षण—गली प्लगिंग / सिल्ट रिटेंशन डेम / कंट्रूर आदि (आवश्यकता अनुसार) | हेक्टेक्टर | 10 | 2498.30 | | 2498.30 | |
| 6 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित | हेक्टेक्टर | 25 | 6245.75 | | 6245.75 | 30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट ₹ 0.5/- की दर से क्रय कर दयूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ) |
| 7 | सामग्री (पॉलिथीन थेली, बीज, उर्धरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) | हेक्टेक्टर | | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 8 | विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हेक्टेक्टर | | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 9 | प्रवेश बिन्दु कार्य | हेक्टेक्टर | | 13546.07 | 0.00 | 13546.07 | |
| योग :— | | | 112.00 | 41527.03 | 17932.74 | 59459.77 | |

प्रधान मुख्य वक्ता संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टर) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।


| क्र० | वन प्रमण्डल का नाम | प्रभेत का नाम | प्रब्लेम | स्थित का नाम | थाने एवं शाना सख्ता | जीवीवितसंरक्षण को-ऑफिसिटस | स्वॉट नं | कुल संख्या (हेक्टर) |
|------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर | डालटनगंज वनरोपण | चैनपुर | टेमराइ | चैनपुर-134 | N 23° 59'37" E 084° 01'15" | 108, 179, 318, 322, 3, 44, 342, 344, 345, 323, 346, 347 | 50 |
| | | पाटन वनरोपण | छतरपुर | ओकराहा | छतरपुर-272 | N 23° 18'42" E 084° 07'085" | 1, 14, 7, 13, 153, 171, 222 | 50 |
| | | चैनपुर | रामगढ़ | काचन | चैनपुर-36 | N 23° 54'07" E 83° 58'21" | 428, 660 | 30 |
| 2 | गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा | भवनाथपुर | बरडीहा | जिकाबुचकम | भवनाथपुर-102 | N 24° 21'21.97" E 83° 42'12.90" | 9, 10, 11, 12 | 50 |
| 3 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा | रंका पूर्वी | रंका | तुतरु | रंका-38 | N 23° 52'35" E 83° 39'03" | 1 to 4, 369, 770, 775, 778 to 782, 795 to 807 | 50 |
| 4 | चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा | टण्डवा | टण्डवा | पदमपुर | टण्डवा-01 | | 267, 856, 857, 868, 869, 870, 870, 871 | 50 |
| | | सिमरिया वनरोपण | सिमरिया | एदला | सिमरिया-164 | | 61, 62, 117, 118, 119, 120 | 50 |
| | | लावालौंग | ईंटखोरी | करमा | ईंटखोरी-252 | | 734P, 735P, 749, 750P, 751, 794, 1118P, 1120P | 50 |
| 5 | कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा | झोमचांच | सरकच्चो | खेशमगी | कोडरमा-105 | N 24° 92.927 E 85° 78.707 | 4 | 30 |
| | | | | | मोटा :- | | | 30 |

| क्र० | नून प्रमाणित का नाम | प्रदेश का नाम | स्थल का नाम | याना एवं थाना संख्या | जोड़ीपुराराज को-जीवनेटस | स्वैच्छनि | कुल रकम (₹) |
|------|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 6 | सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवधर मधुपुर | साठवाठ प्रदेश, सारठ | पथरड़ा | सारठ-21 | N 24° 16'57" E 86° 44'53" | 1 | 25 |
| | | | भलपहडी | मधुपुर-200 | N 24° 21.199" E 86° 37.258" | 181P, 200P, 201P, 7P, 21P, 36P, 63P | 25 |
| | | | सलैया | मधुपुर-201 | | | 50 |
| 7 | सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा | साठवाठ प्रदेश, गढ़वा | मकरी-1 | भवनाथपुर-17 | N 24° 21.037 E 83° 33.31 | 2178 | 50 |
| | | | तुलबुला | गढ़वा-428 | N 23° 58.38" E 83° 50.38" | 62, 145, 120, 146, 165, 75, 147 | 50 |
| | | | गोपा | | | | 100 |
| | | | मधुपुर | | | | 560 |

प्रधान  संस्कृत संस्कृत संस्कृत संस्कृत, विकास,
जीरखपाल, राँची

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनमूलि पर वृक्षारोपण एवं झू–संरक्षण” योजना (अनुसूचित जरियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अधिगम कार्य का स्थल विवरणी।

| क्र० | वन प्रमण्डल का नाम | प्रक्षेत्र का नाम | प्रखण्ड | स्थल का नाम | थाना एवं भागी संख्या | को-ऑपरेटरस | लॉट नं. | फुल एक्वा (हेक्टर) |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii | ix |
| 1 | हजारीबाग परिचमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग | हजारीबाग वनरोपण | कोड़गाँवी | बड़कागाँव-24 | N 23° 51'46.59" E 86° 06'32.21" | 597 | | 45 |
| | | चौपारण वन प्रक्षेत्र | चौपारण | असनाचुआं | N 24° 25'39.09" E 85° 16'31.02" | 10,32P | | 55 |
| | | | | | | | | 100 |
| 2 | सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवधर | साठवां प्रक्षेत्र, देवधर | कोकरीबांक | देवधर-115 | N 24° 30'469" E 86° 36.572" | 1 | | 25 |
| | | | कोड़गाँवी | देवधर-28 | N 24° 31'.268" E 86° 36.313" | 130 | | 25 |
| | | | | | | | | 50 |
| 3 | सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा | साठवां प्रक्षेत्र, नगर | कोल्हुआ | गढ़वा-113 | N 24° 14.458 E 83° 30.986 | 558, 559, 563, 562, 564 | | 50 |
| | | साठवां प्रक्षेत्र, नावा बाजार | तूरीदाम | विश्रामपुर-151 | N 24° 14.511 E 84° 06.369 | 14, 1 | | 50 |
| | | | | | | | | 100 |
| | | | | | | | | 250 |
| | | | | | | | | 500 |


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जटियों के लिए विशेष धटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का सेपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

| क्र० सं० | वन प्रमाणल का नाम | प्रक्षेत्र का नाम | प्रखण्ड | स्थल का नाम | आना एवं आना संख्या | स्लॉट संख्या | कुल रकम (हेक्टेक्टर) |
|-------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | गोड्डा वन प्रमाणल, गोड्डा | गोड्डा वन प्रक्षेत्र | सुन्दरपहाड़ी | महुआडांड | सुन्दरपहाड़ी-८ | 1302 पार्ट | 10 |
| 2 | जमशेदपुर वन प्रमाणल, जमशेदपुर | मानगो | | मुकरुडीह | पटमदा-389 / 132 | 188, 189, 190, 451, 549 | 50 |
| | | | | मोग | | | 50 |
| | | | | मानग | | | 60 |

प्रखण्ड-
गोड्डा वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दरों पर बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।


पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/927

दिनांक -

25-Sep-2

| क्रमांक | विपश्र कोड | एकसेस नं | मिकारी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|------------------------------------|--|--|
| 1 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर बृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं खर्च 03 - मजदूरी State Scheme | 61598 | PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. | 5,484,000.00 रुपये छोपन लाख चौरासी हजार |
| 2 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर बृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं खर्च 03 - मजदूरी State Scheme | 61600 | GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 2,109,200.00 रुपये इक्कीस लाख नौ हजार दो सौ |
| 3 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर बृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं खर्च 03 - मजदूरी State Scheme | 61601 | GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA | 2,109,200.00 रुपये इक्कीस लाख नौ हजार दो सौ |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| | योग: | | | 9,702,400.00 |
| | क्रमिक योग: | रुपये सित्तानवे लाख दो हजार चार सौ | | (SRI VIRENDRA SINGH GAUR IFS) FCOP.DEV.JHARKHAND RANCHI |

| क्रमांक | विपरी कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवन पदा. | आवंटित राशि |
|--|---|-----------|---|---|
| 4 | S 19 240601789580103 | 61604 | CTRFOR003 | 6,327,600.00 |
| | 2406 - बानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA | रुपये तीरसठ लाख सत्ताइस हजार म: सौ |
| 5 | S 19 240601789580103 | 61605 | KDMFORA01 | 1,265,500.00 |
| | 2406 - बानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA | रुपये बारह लाख पैसठ हजार पाँच म: सौ |
| 6 | S 19 240601789580103 | 61607 | DGRFORE87 | 3,928,500.00 |
| | 2406 - बानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV., DGR | रुपये उनचालीस लाख अठाइस हजार पाँच सौ |
| योग: | | | | 11,521,600.00 |
| क्रमिक योग: | | | | 21,224,000.00 |
|  (SRI VIRENDRA SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI | | | | |

| क्रमांक | विपत्र कोड | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|--|---|----------|---|--|
| 7 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुशूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिशूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - भजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 61608 | GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW | 7,857,000.00 रुपये अठहत्तर लाख सत्तावन हजार |
| 8 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुशूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिशूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - भजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 61609 | HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA BHIDU DFO., HAZARIBAG WEST DIV,HZB | 3,638,500.00 रुपये छहतीस लाख अडरीस हजार पाँच सौ |
| 9 | S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुशूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिशूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - भजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 61610 | GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION | 415,300.00 रुपये चार लाख पंद्रह हजार तीन सौ |
| योग: 11,910,800.00 | | | | |
| क्रमिक योग: 33,134,800.00 | | | | |
|  (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI | | | | |

| क्रमांक | विपर कोड | एकलेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|--|--|----------|--|--|
| 10 | S 19 240601789580103 | 61612 | JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. | 2,076,300.00 रुपये बीस लाख छहत्तर हजार तीन सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुभूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिभूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं खर्चे 03 - भजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 11 | S 19 240601789580323 | 61630 | PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OPEST.DIV. | 2,069,800.00 रुपये बीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुभूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिभूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| 12 | S 19 240601789580323 | 61631 | GRHFWL001 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 796,100.00 रुपये सात लाख छयानवे हजार एक सौ |
| | 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुभूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिभूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | | | |
| योग: 4,942,200.00 | | | | |
| क्रमिक योग: 38,077,000.00 | | | | |
| (DR. VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI | | | | |


| क्रमांक | विपरी कोड | एकलेस नं | निकाली एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|----------|--|--|
| 13 | S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुशूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिकृत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 61632 | GRHFWL004 AVIROOP SINHA D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA | 796,100.00 रुपये सात लाख छयानवे हजार एक सौ |
| 14 | S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुशूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिकृत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 61634 | KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA | 477,700.00 रुपये चार लाख सित्योस्तर हजार सात सौ |
| 15 | S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुशूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिकृत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 61636 | DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR | 1,512,700.00 रुपये पंद्रह लाख बारह हजार सात सौ |

योग: 2,786,500.00

क्रमिक योग: रुपये घार करोड आठ लाख तीरसठ हजार पाँच सौ 40,863,500.00

(DR VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|--|--|-----------|--|--|
| 16 | S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के सिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1276) Central Scheme : NA | 61637 | GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW | 3,025,400.00 रुपये तीस लाख पच्चीस हजार चार सौ |
| 17 | S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के सिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 61639 | HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA MANNU DFO, HAZARIBAG WEST DIV,HZB | 1,433,300.00 रुपये चौदह लाख तैलीस हजार तीन सौ |
| 18 | S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के सिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA | 61640 | GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION | 179,300.00 रुपये एक लाख उन्नासी हजार तीन सौ |
| <hr/> | | | | |
| योग: | | | | 4,638,000.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये चार करोड़ पचपन लाख एक हजार पाँच सौ | | | 45,501,500.00 |
| <hr/> | | | | |
|  (SRI VIRENDER SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI | | | | |

| क्रमांक | विपरीत कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवन पदा. | आवंटित राशि |
|-------------|--|-----------|---|-----------------------------------|
| 19 | S 19 240601789580323 | 61643 | JSRFOR051 | 896,600.00 |
| | 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं मू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. | रुपये आठ लाख छवानवे हजार चौहाँ सौ |
| | | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) | | | |
| | Central Scheme : NA | | | |
| 20 | S 19 240601789580323 | 61646 | CTRFOR003 | 2,388,300.00 |
| | 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं मू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme | | SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHHATRA | रुपये तेहस लाख अठवासी हजार तीन सौ |
| | | | | |
| | State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) | | | |
| | Central Scheme : NA | | | |
| | | | | |
| योग: | | | | 3,284,900.00 |
| क्रमिक योग: | रुपये घार करोड सित्यासी लाख छियासी हजार घार सौ | | | 48,786,400.00 |
| | | | (SBL VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI | |